# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 22/2023
रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/24

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

एक्सिस बैंक लि. रजिस्टर्ड कार्यालय त्रिशुल तीसरी मंजिल समर्थेश्वर मन्दिर के सामने लॉ गार्डन के पास एलिसब्रीज, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय जी–9 महिमा त्रिमिटी मॉल, 3 एफ–24, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. मैसर्स फ्रूट हाउस जरिये प्रोपराईटर मुबारिक हुसैन, निवासी मदारेश्वर रोड, नहर से आगे, जिला– बांसवाडा एवं प्लाट नं. 74 मदारेश्वर रोड, पावर हाउस के सामने जिला बांसवाडा (ऋणी )
2. श्री मुबारिक हुसैन पुत्र गुलाम हुसैन निवासी 113 वार्ड नं. 38, मदारेश्वर रोड जिला बांसवाडा एवं प्लाट नं. 74 मदारेश्वर रोड, पावर हाउस के सामने जिला बांसवाडा (ऋणी/सहऋणी)
3. श्री अजगर हुसैन पुत्र गुलाम हुसैन निवासी 113 वार्ड नं. 38, मदारेश्वर रोड जिला बांसवाडा एवं प्लाट नं. 74 मदारेश्वर रोड, पावर हाउस के सामने जिला बांसवाडा (ऋणी/सहऋणी)
4. श्रीमती आयशा पत्नी मुबारिक हुसैन निवासी 113 वार्ड नं. 38, मदारेश्वर रोड जिला बांसवाडा एवं प्लाट नं. 74 मदारेश्वर रोड, पावर हाउस के सामने जिला बांसवाडा (ऋणी/सहऋणी)

## निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 12–07–2023

प्राधिकृत अधिकारी एक्सिस बैंक लि. रजिस्टर्ड कार्यालय त्रिशुल तीसरी मंजिल समर्थेश्वर मन्दिर के सामने लॉ गार्डन के पास एलिसब्रीज, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय जी–9 महिमा त्रिमिटी मॉल, 3 एफ–24, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड जयपुर की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible], श्री अशोक कुमार गॉधी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1– मैसर्स फ्रूट हाउस जरिये प्रोपराईटर मुबारिक हुसैन, निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:48:29 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

मदारेश्वर रोड, नहर से आगे, जिला– बांसवाडा एवं प्लाट नं. 74 मदारेश्वर रोड, पावर हाउस के सामने जिला बांसवाडा (ऋणी ) 2 – श्री मुबारिक हुसैन पुत्र गुलाम हुसैन निवासी 113 वार्ड नं. 38, मदारेश्वर रोड जिला बांसवाडा एवं प्लाट नं. 74 मदारेश्वर रोड, पावर हाउस के सामने जिला बांसवाडा (ऋणी/सहऋणी) 3 – श्री अजगर हुसैन पुत्र गुलाम हुसैन निवासी 113 वार्ड नं. 38, मदारेश्वर रोड जिला बांसवाडा एवं प्लाट नं. 74 मदारेश्वर रोड, पावर हाउस के सामने जिला बांसवाडा (ऋणी/सहऋणी) 4 – श्रीमती आयशा पत्नी मुबारिक हुसैन निवासी 113 वार्ड नं. 38, मदारेश्वर रोड जिला बांसवाडा एवं प्लाट नं. 74 मदारेश्वर रोड, पावर हाउस के सामने जिला बांसवाडा (ऋणी/सहऋणी) को ऋण खाता संख्या 919060004543700 से राशि रुपया 43,88,000 (अक्षरे तियालिस लाख अठ्ठासी हजार रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 29.06.2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 31.05.2022 तक कुल बकाया राशि 31,58,096.52 एवं उसके पश्चात् से राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरीटी के रुप मे अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास बंधक सम्पत्ति की जिसका विवरण प्लॉट नंबर 74, मदारेश्वर रोड, पावर हाउस के सामने, जिला बांसवाडा राजस्थान में मुबारिक हुसैन के स्वामित्व व अधिपत्य की स्थित है। जिसके पूर्व में प्लॉट नं. 73, पश्चिम में रोड, उत्तर में रास्ता एवं दक्षिण में रोड है। जिसका ऋणी ने करार कर ऋण राशि अदायगी हेतु आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:48:29 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत **दिनांक 24-08-2022** को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित बंधक करार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 20.01.2023 को जारी किये गए। दिनांक 17-02-2023 को अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्रस्तुत हुए। अप्रार्थीगणो की ओर से श्री देवेन्द्र निगम व श्री ईशरत खान अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता ने जवाब हेतु अवसर चाहा। जवाब हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जा चुके है किन्तु जवाब पेश नही किया गया है। आज दिनांक 12.07.2023 को अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 को एवं उनके अधिवक्ता को बार बार रुक रुक कर सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई। ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 से 4 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। न्यायहित में अप्रार्थीगणो को पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। समस्त अप्रार्थीगणो का जवाब बंद कर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी/ अप्रार्थीगणो द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई है न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा **ऋण खाता** संख्या 919060004543700 राशि रुपया 43,88,000 (अक्षरे तियालिस लाख अठ्ठासी हजार रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण [illegible] नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम [illegible]देय होने पर दिनांक 29.06.2022 को [illegible] किया गया है। वित्तीय संस्था द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:48:29 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत दिनांक 24-08-2022 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गए, जो कि अप्रार्थीगणो को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये गये है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 स्वीकार योग्य है एवं बैंक/ वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वितिय संस्था का होगा। तहसीलदार बांसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एक्सिस बैंक लि. रजिस्टर्ड कार्यालय त्रिशुल तीसरी मंजिल समर्थेश्वर मन्दिर के सामने लॉ गार्डन के पास एलिसब्रीज, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय जी-9 महिमा त्रिमिटी मॉल, 3 एफ-24, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड जयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह नियमानुसार पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 12-07-2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:48:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner